SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)
Case No
Name and address of the Complainant
33110 318 31188
Name, parentage, caste and address of accused
W मिन्गालाल 510 क्षाप्राप्त संग्रा पहलब 1000 पांजा जाहर
(3) सुनीक Sto जवाहर लाल शक्ति 25 वर्ष माठवाहिक 05 गांहर
3) सदीप Sto केमेरा वाल्प भीका 20 वर्ष R 10 अन्युका प्रेरा वर्म पर
co stas
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक 7-//- को करीब 17.23.0 बजे मुका
सार्वजनिक स्थान 3रवार्र माहलाता कोटा माहरू - माहर पर ताश के पत
से रूपये पैसे की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए।
ऐसा करके आपने सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 की धारा 13 के अधीन दण्डनीर
अपराध कारित किया।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
The plea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
अपराध स्वाकार है। न्यून दण्ड स दाण्डत करन का निवदम है।
Harrier xp.,
18114

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## //निर्णय// (आज दिनांक 15-11-17 को घोषित)

आरोपी/गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजनिक धुत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को (दृष्टिगत रखते हुये आरोपी/गण को सार्वजनिक धुत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए अर्थदण्ड 100 – 100/ रूपये (प्रत्येक अभियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राषि के संदाय के व्यतिकम की दषा में अभियुक्त/गण को ..... दिवस का साधारण कारावास भुगताया

जावे। अभियुक्तगृण से जप्तषुदा राशि ...1250/ अपील अवधि पश्चात् राजसात् की जाये तथा जप्तसुदा मूल्यहीन सम्पत्ति ताश ......पत्तों को नष्ट कर व्ययनित की जाये। सुपुर्दगी पर दी गयी संपत्ति के संबंध में सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील की दशां में मानं० अपील न्यायालयं के आदेश का पालन हो। जब्तशुदा अपराध से संबंधित एवं

उसकी विषय वस्तु न होने से जिस व्यक्ति से जब्त की गयी उसे लौटाई जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)